संख्या-15525/26-3-82-11871-81

प्रेषक,

रामकृष्ण,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ: दिनांक 23 सितम्बर, 1982

विषय:- स्पेशल कम्पोनेण्ट प्लान के अन्तर्गत चयनित विकास खण्डों में सर्वेक्षित विकास कार्यक्रम हेतु आवंटित धनराशि से भूमिहीन हरिजनों को आवंटन हेतु कृषि योग्य भूमि खरीदने की मूल्य सीमा रु० 10,000/- तक बढ़ाया जाना ।

महोदय,

हरिजन एवं समाज कल्याण अनु0-3

उपर्युक्त विषय पर शासनादेश सं0 4120/26-3-81, दिनांक 12-1-1982 तथा शासकीय रेडियोग्राम संख्या 6477/26-3-82-11871-81 दिनांक 21-4-82 का आंशिक संशोधन करते हुये तथा शासनादेश संख्या 8438/26-3-82-11834-82 दिनांक 16 सितम्बर, 1982 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चयनित विकास खण्डों में सर्वेक्षित विकास-कार्यक्रमों के लिये आवंटित धनराशि में से कृषि योग्य उपजाऊ भूमि खरीद कर अनुसूचित जाति के निर्धनता रेखा से नीचे निवास कर रहे भूमिहीन व्यक्तियों को आवंटित किये जाने की योजना में शासन ने निम्नांकित संशोधन किये हैं :-

(1) जहां कृषि योग्य उपजाऊ भूमि रु० 5,000 प्रति एकड़ प्रति एकड़ तक उपलब्ध है वहां लाभार्थियों को उतनी भूमि खरीद का आवंटित कर दी जाय जितनी रु० 5,000 में क्रय की जा सके ।

(2) जहां भूमि का मूल्यांकन रु० 5,000 प्रति एकड़ से अधिक है वहां लाभार्थी को इतनी भूमि खरीद कर दी जाये जो 10,000 रु० में खरीदी जा सकती है।

(3) जिस लाभार्थी को 10,000 रु० की भूमि आवंटित की जायेगी उसे भूमि का 50 प्रतिशत मूल्य अर्थात 5,000 रु० का शासन द्वारा ऋण दिया गया समझा जायगा जो लाभार्थी से आवंटन के 1 वर्ष बाद 120 समान मासिक किस्तों में वसूल किया जायेगा परन्तु इस पर लाभार्थी से कोई व्याज नहीं लिया जायेगा ।

(4) लाभार्थी ऋण की मासिक किस्त अपर जिला विकास अधिकारी (ह0क0) के कार्यालय में भुगतान करेगा जहां से वह उक्त अधिकारी के कोषागार स्थित पी0एल0ए0 में जमा कर दी जायगी । प्रत्येक लाभार्थी से प्राप्त ऋण तथा उसकी अदायगी का विधिवत् लेखा रजिस्टर अलग रखा जायेगा ।

(5) रजिस्ट्रेशन शुल्क से मुक्त हेतु समस्त भूमि को खरीद श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश के नाम से की जायेगी और गवर्नमेन्ट ग्रान्ट ऐक्ट के अन्तर्गत इस शर्त पर आवंटित की जायेगी की आवंटी को किसी भी दशा में उस भूमि को बेचने अथवा हस्तान्तरण करने का अधिकार नहीं होगा । रु० 10,000 मूल्य की भूमि के पट्टों में रु० 5,000 के ऋण की अदायगी की शर्त और उसके लिये आवंटी की सहमति स्पष्ट रूप से अंकित की जायेगी

(6) प्रत्येक आवंटन विलेख में यह बात स्पष्ट कर दी जायेगी कि "इस विलेख में अन्यथा किसी बात के होते हुये भी, आवंटक को सर्वदा यह अधिकार होगा कि यदि इस बात का साक्ष्य मिले कि आवंटी अनुसूचित जाति का नहीं है अथवा आवंटन के पूर्व उसके परिवार के समस्त सदस्यों की सभी श्रोतों से सम्मिलित वार्षिक आय रु० 3,500 से अधिक थी अथवा आवंटी के पास आवंटन के पूर्व कोई कृषि योग्य भूमि थी अथवा उसने इस विलेख द्वारा आवंटित भूमि को किसी व्यक्ति को किराये पर उठा दिया है अथवा अन्यथा हस्तान्तरित कर दिया है तो इस बात के बावजूद कि आवंटी ने भूमि का आधा मूल्य अदा कर दिया है, वह आवंटन को निरस्त कर दें और आवंटी अथवा उसकी ओर से भूमि के काबिज प्रत्येक व्यक्ति को बेदखल कर दें अथवा करा दे ।

(7) यदि अनुसूचित जाति का कोई सम्पन्न खातेदार इस प्रयोजन हेतु शासन को अपनी भूमि बेचना चाहता है और वह इस हेतु उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 157-क के अन्तर्गत जिलाधिकारी से विधिवत अनुमति प्राप्त कर लेता है तो उसकी भूमि क्रय की जाने में शासन को कोई आपत्ति नहीं है ।

2- अनुरोध है कि शासन के उपरोक्त निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश अविलम्ब जारी करने की कृपा करें ।

भवदीय,
रामकृष्ण,
सचिव ।

पृ०सं०/15525(1)/26-3-82-11(7)-81 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1- निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण, उ०प्र० लखनऊ ।
2- समस्त मण्डलीय आयुक्त, उत्तर प्रदेश ।
3- समस्त मण्डलीय सहायक/उप निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण, उ०प्र० ।
4- समस्त अपर जिला विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण) उत्तर प्रदेश ।
5- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि०, लखनऊ ।

आज्ञा से,
चन्द्र कुमार वर्मा,
विशेष सचिव ।